-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2015 में थाना बबेरु क्षेत्र में तमंचे से गोली मारकर व्यक्ति की हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व कुल 46 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2015 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत एक व्यक्ति को तमंचे से गोली मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 29.10.2015 को 1-अरुण उर्फ राजाबाबू पुत्र सत्यनारायण निवासी ग्राम बिसण्डी थाना बिसण्डा, 2-जयसिंह उर्फ गब्बर पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम पतवन थाना बबेरु द्वारा एक राय होकर थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम मझीवां के एक व्यक्ति श्याम पुत्र भूखन को तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता भूखन पुत्र शिवमंगल निवासी मझीवां थाना बबेरु की तहरीर पर थाना बबेरु में मु0अ0सं0 320/15 धारा 302/34/323/34/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री यशवीर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना के क्रम में घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री महेन्द्र द्विवेदी व श्री विमल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तो को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 21-21 हजार रुपये तथा आर्म्स एक्ट में 02-02 वर्ष कारावास तथा 02-02 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **अरुण उर्फ राजाबाबू पुत्र सत्यनारायण निवासी बिसण्डी थाना बिसण्डा जनपद बांदा।**
2. **जय सिंह उर्फ गब्बर पुत्र जयवीर निवासी पतवन थाना बबेरु जनपद बांदा।**